

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 03/01/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजे७ (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 03/01/2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजे७ (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजे७ (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामांकित)।
2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती पोम्पी दास, एसीआई (ACI), डीआईसी (DIC), नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, यूपी सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), कार्यालय अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए (CLA), नई दिल्ली।
5. श्री विकास कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजे७ (NSEZ), (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजे७ (NSEZ), (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजे७ (NSEZ), (iv) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, अनुमोदन समिति की सहायता के लिए परियोजना अनुभाग, एनएसईजे७ (NSEZ), (v) सत्य विजय वर्मा, एईई (AEE), यूपीपीसीबी (UPPCB), नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेर्झ, यूपीपीसीएल (UPPCL), नोएडा भी उपस्थित थे। आवश्यक गणपूर्ति होने के कारण बैठक आगे बढ़ी।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 06/12/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 06/12/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही आपत्तियाँ। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 06/12/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) मॉडर्न इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड - एनएसईजे७ (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

2.1 अनुमोदन समिति के समक्ष बैठक के लिए आवेदक कंपनी से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित परियोजना विनिर्माण गतिविधि के लिए है या कीटनाशकों सहित विविध रसायनों के व्यापार के लिए है। इसके अलावा, उत्पादों के लिए दिए गए कुछ आईटीसी एचएस (ITC HS) कोड एचएस (HS) 2022 नामकरण में मौजूद नहीं हैं।

सुरेंद्र मानक

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आवेदक को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया:

- (i) उचित स्पष्टीकरण कि प्रस्तावित परियोजना विनिर्माण गतिविधि के लिए है या व्यापारिक गतिविधि के लिए है।
- (ii) आवेदक के साथ पहले से ही साझा किए गए प्रारूप में इनपुट सामग्री, पूंजीगत सामान और तैयार उत्पादों के आईटीसी (एचएस) कोड देते हुए उचित प्रारूप में प्रक्रिया प्रवाह आरेख।
- (iii) केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) और/या अन्य सम्मान प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण के प्रति।
- (iv) आईटीसी (एचएस) नीति 2022 के अनुसार सही आईटीसी (एचएस) कोड/तैयार उत्पादों का नामकरण।

(3) नुटीश एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

3.1 श्री योगेश, निदेशक और श्री आकाश मलिक, प्रतिनिधि प्रस्ताव की व्याख्या करने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने देखा कि प्रस्तुत निर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट और निधि प्रवाह विवरण सही नहीं हैं। इसके अलावा, प्रतिनिधि एनएसईजेड (NSEZ) में प्रस्तावित परियोजना के लिए धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को एचएस कोड (एचएस 2022 नामकरण में) इनपुट सामग्री, पूंजीगत सामान और तैयार उत्पादों की स्पष्ट रूप से देते हुए उचित प्रारूप में निर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया। इसके अलावा, उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विधिवत समर्थित एनएसईजेड (NSEZ) में प्रस्तावित परियोजना के लिए निधि प्रवाह विवरण भी जमा करना होगा। अनुमोदन समिति ने आवेदक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगली बैठक में संवर्धक को अपने प्रस्ताव की व्याख्या करने के लिए उपस्थित होना चाहिए।

(4) एडवांस इस्पात (इंडिया) लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 अनुमोदन समिति के समक्ष बैठक के लिए इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने देखा कि कई अवसर देने के बावजूद, इकाई से कोई भी बैठक के लिए उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने इकाई प्रतिनिधि की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने उसके आश्वासन के बाद भी निर्यात गतिविधियां शुरू नहीं की हैं।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को एक कारण बताओ सूचना (SCN) जारी करने का निर्देश दिया कि क्यों न उनके शून्य निर्यात प्रदर्शन और बैठक में प्रतिनिधियों की गैर-उपस्थिति को देखते हुए उनके स्वीकृति पत्र (LOA) को रद्द कर दिया जाए। अनुमोदन समिति ने एनएसईजेड (NSEZ) सीमा शुल्क को इकाई का भौतिक निरीक्षण करने और इकाई की गतिविधियों/प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के बाद, विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) इकाई को एक व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करेंगे और उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

(5) जीकेबी (GKB) ऑप्टिकल्स लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सोनू कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई ने व्यापार किए गए सामानों की डीटीए (DTA) बिक्री की है और रुपए (INR) में भुगतान भी प्राप्त किया है जो स्वीकृति पत्र (LOA) के तहत अनुमति नहीं थी। श्री कुमार ने बताया कि अब डीटीए (DTA) बिक्री नहीं की जा रही है। हालांकि वह व्यापारिक वस्तुओं की डीटीए (DTA) बिक्री करने के कारणों की व्याख्या नहीं

सुरेश भालीक

कर सके। समिति ने बैठक में भाग लेने के लिए इकाई के प्रतिनिधि के बिना तैयारी के / और इकाई के आँकड़े न लाने पर नाराजगी व्यक्त की।

5.2 निर्दिष्ट अधिकारी ने सूचित किया कि सीमा शुल्क रिकॉर्ड के अनुसार, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में समाशोधित माल को इकाई द्वारा प्रविष्टि बिल में 'निर्मित' माल के रूप में दर्शाया गया है जबकि इकाई ने अब स्पष्ट किया है कि उन्होंने व्यापार किए गए माल के विरुद्ध घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की है।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और इस तथ्य पर गंभीरता से विचार किया कि इकाई के प्रतिनिधि व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री करने के कारणों की व्याख्या करने में विफल रहे। अनुमोदन समिति ने इकाई को व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री का विवरण और पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान रूपए (INR) में प्राप्त भुगतान के विवरण को एक स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि व्यापार किए गए सामानों की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री क्यों की गई जबकि इसकी अनुमति नहीं थी। उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के खिलाफ एफटी (टी और आर) अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) को एफटी (टी और आर) अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और फाइल पर स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए अपेक्षित निर्णय लेने का अधिकार भी दिया।

(6) ह्यूअर इंटरनेशनल (जी.एस.टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक प्रभाग) - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, निदेशकों/शेयरधारिता में बदलाव और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 श्री मनु ग्रोवर, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई ने पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान 18,36,272/- रूपये मूल्य के व्यापारिक सामानों की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की है और ऐसी बिक्री के लिए भारतीय रूपये में भुगतान प्राप्त किया है जबकि स्वीकृति पत्र (LOA) में व्यापारिक वस्तुओं की कोई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की शर्त नहीं लगाई गई है।

6.2 श्री ग्रोवर ने बताया कि अप्रूवल कमेटी ने पहले उन्हें 2018 में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में 20 लाख रूपये का ट्रेडिंग सामान बेचने की अनुमति दी थी। उन्होंने उसके बाद व्यापारिक माल की कोई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री नहीं की है।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्पादन क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि के साथ पांच साल की शेष अवधि यानी 26/07/2027 तक स्वीकृति पत्र (LOA) को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता में बदलाव पर भी ध्यान दिया और इकाई को भविष्य में एसईजेड (SEZ) अधिनियम/नियमों के तहत समय पर अनुपालन में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी के लिए मामले को और स्थगित कर दिया और परियोजना अनुभाग को व्यापार माल की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के आंकड़ों की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो इकाई से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया।

(7) मैग्रम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) के तहत स्वीकृत अधिकृत संचालन में संशोधन।

7.1 श्री डी.वी. खेड़ा, श्री सुरेश कुमार तिवारी और श्री मनीष कुमार, कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने समिति को सूचित किया कि उनकी कंपनी डीजीएक्यूए (DGAQA) के साथ पंजीकृत है।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को डीजीएक्यूए (DGAQA) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति जमा करने का निर्देश दिया और निम्नलिखित निर्णय लिए:

- इकाई के अधिकृत संचालन वर्तमान में निम्नानुसार होंगे:

सुरेश खेड़ा

1) केवल नागरिक विमानों के लिए विमान के पुर्जों और एमआरओ सेवाओं का निर्माण (आईटीसी एचएस 88071000, 88072000, 88073000, 88079000);

2) केवल असैन्य विमानों के लिए विमान और हेलीकाप्टर स्पेयर पुर्जों/औजार और परीक्षण उपकरण/टायर का व्यापार (आईटीसी एचएस 88071000, 88072000, 88073000, 88079000)

(ii) प्राधिकृत परिचालन इस शर्त के अधीन हैं कि इकाई जहां भी आवश्यक हो, स्कोमेट (SCOMET) मदों के निर्यात के लिए डीजीएफटी (DGFT) से लाइसेंस प्राप्त करेगी।

(iii) अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई से डीजीएक्यूए (DGAQQA) प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने पर, प्रस्तावित अधिकृत संचालन, यानी "(1) भारत सरकार के रक्षा और अर्ध सैन्य बलों के स्वामित्व वाले सभी प्रकार के विमानों के लिए विमान के पुर्जों और एमआरओ (MRO) सेवाओं का निर्माण (आईटीसी एचएस 88071000, 88072000, 88073000, 88079000); (2) भारत सरकार के रक्षा और अर्धसैनिक बलों के स्वामित्व वाले सभी प्रकार के विमानों के लिए विमान और हेलीकाप्टर स्पेयर पार्ट्स / उपकरण और परीक्षण उपकरण / टायर का व्यापार (आईटीसी एचएस 88071000, 88072000, 88073000, 88079000) पर स्पष्टीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय (MOD), गृह मंत्रालय (MHA), डीपीआईआईटी (DPIIT) और नागरिक उड़ान मंत्रालय (MOCA) को प्रति के साथ वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र भेजा जा सकता है।। वाणिज्य विभाग (DOC) को उक्त पत्र की एक प्रति इकाई की जानकारी के लिए भी पृष्ठांकित की जा सकती है।।

(iv) समिति ने इकाई को अपने लंबित एपीआर (APR) तुरंत जमा करने का भी निर्देश दिया।

(8) सनगलास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - नियम 74ए के तहत संपत्ति के निकास और हस्तांतरण को वापस लेना और प्रदर्शन की निगरानी करना।

8.1 श्री अरुण मल्होत्रा, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने भवन का नवीनीकरण शुरू कर दिया है और मार्च 2023 तक पहली खेप भेजने की उम्मीद है। अनुमोदन समिति ने देखा कि स्वीकृति पत्र (LOA) में कुछ एचएस कोड एचएस 2022 नामकरण में मौजूद नहीं हैं।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसईजे१ (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत जारी संपत्ति और देनदारियों के बाहर निकलने और हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी वापस लेने के इकाई के अनुरोध पर ध्यान दिया। समिति ने आगे इकाई को स्वीकृति पत्र (LOA) के तहत अनुमत उत्पादों के एचएस 2022 नामकरण में अद्यतन 8 अंकों के आईटीसी एचएस कोड जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे जून 2023 में होने वाली अपनी बैठक में इकाई के प्रदर्शन की निगरानी करने का निर्णय लिया।

(9) सिनैप्स इंडिया आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों में परिवर्तन।

9.1 अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन पर ध्यान दिया और इकाई को भविष्य में एसईजे१ (SEZ) अधिनियम/नियमों के तहत समय पर अनुपालन में सावधान रहने की चेतावनी दी।

(10) कासिया कॉउचर एलएलपी (LLP) - अपनी इकाई में जूते आयात करने और स्वीकृति पत्र (LOA) का निर्माण और समीक्षा करने के बाद उसी का निर्यात करने के लिए एक बार अनुमति।

10.1 श्री पी.वी. खुल्लर, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि, वह न तो प्रस्ताव को ठीक से समझा सके और न ही 31/12/2022 को जमा हुए पट्टा किराया बकाया 15,80,639/- के भुगतान के संबंध में कोई आश्वासन दे सके। अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 15.10.2022

सुरेन्द्र मालिक

तक वैध था और इकाई ने अपने स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता के भीतर अपना उत्पादन शुरू नहीं किया। इकाई ने स्वीकृति पत्र (LOA) के आगे विस्तार के लिए भी कोई अनुरोध नहीं किया।

10.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद जूतों के आयात और निर्यात की एकमुश्त अनुमति के लिए इकाई के प्रस्ताव को **खारिज** कर दिया। अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि स्वीकृति पत्र (LOA) एसईजेड (SEZ) नियम 19(5) के संदर्भ में 15.10.2022 से समाप्त हो गया था और संपत्ति प्रबंधन प्रभाग, एनएसईजेड (NSEZ) को पी.पी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

(11) ब्रह्म नेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड - एसडीएफ (SDF) नंबर एल-7(ए), एनएसईजेड (NSEZ) से मैसर्स नॉल्डस सॉफ्टवेयर एलएलपी (LLP) को बाहर निकलना और संपत्ति का हस्तांतरण और प्रदर्शन की निगरानी।

11.1 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पांच साल के पिछले ब्लॉक यानी 2017-18 से 2022-23 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) कमाई की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि एपीआर (APR) के अनुसार कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसडीएफ (SDF) नंबर एल-7 (ए), एनएसईजेड (NSEZ) सहित संपत्ति और देनदारियों के बाहर निकलने और हस्तांतरण के लिए इकाई को नियम के अनुसार मैसर्स नॉल्डस सॉफ्टवेयर एलएलपी (LLP) को एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के 74ए को अंतिम मंजूरी दी। समिति ने इकाई से निकास संबंधित लंबित दस्तावेज प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड (NSEZ) को इकाई से उक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर फ़ाइल पर अंतिम निकास के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(12) स्वीकृति पत्र (LOA) के तहत स्वीकृत अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतन के लिए दी गई अनुमति के अनुसमर्थन से संबंधित प्रस्ताव।

12.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) के तहत अनुमत अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतन के लिए दी गई निम्नलिखित अनुमति की पुष्टि की:

क्रमांक	इकाई का नाम	जारी पत्र की तिथि
1.	सेज एक्सपोर्ट्स	22/12/2022
2.	दीपक केयर लिमिटेड	28/12/2022

(13) रॉयल एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और अधिकृत संचालन में संशोधन।

13.1 इकाई के भागीदार श्री मनोज सोनी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जड़े आभूषणों में हीरों के साथ रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा।

13.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि 153.36 लाख रुपये की निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित दिखाई गई है।

13.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) को 30/06/2023 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। समिति ने आगे इकाई को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार बकाया निर्यात आय प्राप्त करने और आवश्यक अद्यतन/समय विस्तार प्रमाण तुरंत इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने अप्रैल, 2023 में होने वाली अपनी बैठक में इकाई के प्रदर्शन की निगरानी करने का निर्णय लिया। समिति ने जड़े हुए आभूषणों के लिए प्रस्तावित एचएस कोड (एचएस2022 नामकरण में) के साथ विशिष्ट प्रकार के रंगीन

सुरेश मालक

पत्थरों पर स्पष्टीकरण मांगने का भी निर्देश दिया। इकाई को स्वीकृति पत्र (LOA) नवीनीकरण पत्र जारी करते समय इन विवरणों को प्रस्तुत करना होगा।

(14) लक्षण ओवरसीज - स्वीकृति पत्र (LOA) में संशोधन।

14.1 श्री विपुल अग्रवाल, मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्हें पुनः निर्यात के उद्देश्य से पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि की मरम्मत/ नवकरण का व्यावसायिक अवसर मिल रहा है। इसलिए, उन्होंने अधिकृत संचालन में संशोधन के लिए आवेदन किया है। उन्होंने आगे बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (UK), दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) आदि से हर महीने लगभग 10-20 हजार खराब सामान का आयात किया जाएगा और इन खराब सामानों की मरम्मत/ नवकरण के बाद, इसे सौ प्रतिशत (100 %) देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), यूनाइटेड किंगडम (UK) और कनाडा को फिर से निर्यात किया जाएगा, और भारत में कुछ भी नहीं बेचा जाएगा।

14.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि अपने आवेदन में, इकाई ने "उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय उपकरण, कैलकुलेटर, कम्युनिकेटर, पाम टॉप और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइम पीस/इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी/इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट और मॉड्यूल (इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी के हिस्से) के 100 प्रतिशत पुनः निर्यात और निर्यात के उद्देश्य के लिए पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्माण, मरम्मत/ पुनर्संज्ञा, नवकरण या पुनः-अभियांत्रिकी" के रूप में अधिकृत संचालन का उल्लेख किया है।

14.3 अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि वाणिज्य विभाग (DOC) ने अपने पत्र दिनांक 22/12/2022 के द्वारा स्पष्ट किया है कि नियम 27(1) के अनुसार, एसईजे१ (SEZ) इकाइयां प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात कर सकती हैं। इसके अलावा, नियम 18(4) (डी) के प्रावधान के अनुसार, एसईजे१ (SEZ) में एक इकाई को नियम 18(4) (डी) के प्रावधान में उल्लिखित शर्तों के अधीन मरम्मत, नवकरण या पुनः-अभियांत्रिकी के लिए पुराने इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सामान आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

14.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद नियम 18(4) (डी) एसईजे१ (SEZ) नियम, 2006 के प्रावधान और शर्तों के अनुसार 100 प्रतिशत पुनर्निर्यात के उद्देश्य से पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की नवकरण, मरम्मत और पुनः-अभियांत्रिकी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। निर्यात के लिए ये शर्तें हैं कि इसका आयात के साथ एक से एक संबंध होगा और सभी नवकरण या मरम्मत या पुनः-अभियांत्रिकी वाले उत्पादों और रद्दी माल या अवशेषों या कचरे का निर्यात किया जाएगा और इनमें से किसी भी सामान को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नष्ट किया हुआ। अनुमोदन आगे एचएस 2022 नामकरण में सभी प्रस्तावित उत्पादों के 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड जमा करने और फाइल पर उसकी जांच के अधीन है। इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) में उपरोक्त गतिविधियों को शामिल करने के संबंध में स्वीकृति पत्र (LOA) इकाई से उनके आईटीसी एचएस कोड के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की विशिष्ट सूची प्राप्त होने के बाद फाइल पर विकास आयुक्त के अनुमोदन के साथ जारी किया जाएगा।

(15) प्रभात जर्दा फैक्ट्री ओवरसीज - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

15.1 बैठक के लिए इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान 49.50 लाख रुपये (36 लाख रुपये का किराया और 13.50 लाख रुपये के रूप में प्रचारक उपहार वस्तु) की आयातित इनपुट सेवाओं को फॉर्म-एफ1 में दिखाया गया है और ऐसी सेवाओं का स्थान एनएसईजे१ (NSEZ) के रूप में दिखाया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के खर्चों के खिलाफ विदेशी मुद्रा व्यय कैसे दिखाया गया है। इसके अलावा, मैसर्स एमेक्स टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड के बकाया लीज रेंट की निकासी और इसके स्वीकृति पत्र (LOA) नवीनीकरण/निकास के लिए आवेदन जमा करने के संबंध में समिति के पहले के निर्देशों का अनुपालन आज तक संस्थापको द्वारा नहीं किया गया है।

सुरेश मालिक

15.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को एक संचार भेजने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें उपरोक्त प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया और विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) को तदनुसार फ़ाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त

